

4-1019 उभयपक्ष के अधिकाधिक उपरि स्थित
पञ्चावली पञ्चावली जिलेक 25-10-19
को पेश की Pw

25/6/19 पञ्चावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपस्थित हे
P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/
यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त हे। पञ्चावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 25/11/19 को पेश की

25/11

पञ्चावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपस्थित हे
P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/
यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त हे। पञ्चावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 18/12/19 को पेश की

18/12/19 पञ्चावली पेश हुइ/ उभयपक्ष के अधिकाधिक उपरि
P.O. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/
यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त हे। पञ्चावली पूर्व
जिलेक 29/1/2020 को पेश की Pw

29/1/2020 पञ्चावली पेश हुइ/ उभयपक्ष के अधिकाधिक उपस्थित।
वकील वादी ने आवेदन अन्तर्गत आदेश 6 नियम
17 एवं धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया
कि वाद-पत्र में सहवन से ग्राम बिडौली में
अवस्थित खसरा सं. 745 रकबा 2.82 हेक्टेयर
अंकित होने से रह गया। जिसे वाद-पत्र व
न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिप्टी/निर्णय
में शामिल किया जावे। आवेदन पर वकील
प्रतिवादीगण ने "No objection" अंकन कर
आवेदन स्वीकार किये जाने पर अनापत्ति जाहिर
की। आवेदन व समग्र पञ्चावली का अवलोकन
किया। आवेदन पर उभयपक्ष को सुना गया।
अतः उक्त आवेदन अ. आदेश 6 नियम 17 एवं
151 CPC स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत
वाद-पत्र तथा न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक

उपखण्ड अधिकारी, घोद, मु. सीकर
 जगदीरा सिंह बनाम राजीत सिंह आदि
 दावा मु.नं. 39/2019

डिस्ट्री/निर्णय में ग्राम बिडोली में अवस्थित आराधिका
 का जहाँ-जहाँ वर्कम अंशित/अंशित है, वहाँ-वहाँ
 आराधी खसरा सं. 745 रकबा 2.82 हेक्टर का
 अंकन लाल रूपाही से करने के आदेश डिपे जाते
 हैं। पत्रावली आईनक डिकेड 3/3/2020 को पेश की।
 P.Y

3/3/2020 पत्रावली पेश की। उपखण्ड के अतिरिक्त उपस्थित/
 तहसीलदार, घोद से विभाजन प्रस्ताव मध्य नजदी नगरा
 जपत डुठा। जिसे शामिल पत्रावली किंग गमा/उपस्थित
 अतिरिक्त के अतिरिक्त प्रस्ताव, मध्य नजदी नगरा का
 अवलोकन कर। अंतिम डिस्ट्री का विवेक किंग कठक
 विभाजन प्रस्ताव पर उपखण्ड से सुनी गई/पत्रावली
 वास्ते आदेश डिकेड 11/4/2020 को पेश की।
 P.Y

11/3/2020 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। उपखण्ड के
 अतिरिक्त उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किंग,
 बहद पर मनन किंग। तहसीलदार, घोद से जपत
 विभाजन प्रस्ताव मध्य नजदी नगरा के मुताबिक वादी
 का वाद अंतिम डिस्ट्री किंग जाता है। शहर मध्य
 रहेगा। तदनुसार राजस्व अत्रिलेख में अमल दशापद
 हेतु तहसीलदार, घोद को तहरीर जारी है। निर्णय
 प्रक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किंग
 गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर बन्द तकमील
 हाबिल दफ्तर अत्रिलेखणार है। निर्णय सुझा गमा।
 P.Y



P.Y
 उपखण्ड अधिकारी
 घोद म सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

बड़जलास राजपाल यादव आर.ए.एस

मुकदमा नंबर - 39/2019

जगदीशसिंह पुत्र पीधाराम जाति जाट निवासी ग्राम बिडोली तहसील धोद जिला सीकर

-वादी

ब न म

1. रणजीतसिंह पुत्र पीधाराम
2. विद्याधर पुत्र पीधाराम
3. हरफूलसिंह पुत्र पीधाराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम बिडोली तहसील धोद जिला सीकर
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा कोतवाली रोड सीकर जरिये शाखा प्रबन्ध
5. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अशोक बिहार सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक
6. तहसीलदार, धोद जिला सीकर

दावा बाबत बंटवारा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट

उपस्थिति-

1. श्री राजेन्द्र कुमार मातवा वकील वादी की ओर से
- श्री राजेन्द्र सुण्डा वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से
- श्री भागीरथ चौधरी वकील प्रतिवादी सं. 5 की ओर से



निर्णय

दिनांक- 11.02.2020

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा सं. 572, 577, 747, 748, 749, 750 किता 6 कुल रकबा 8.11 हेक्टेयर व खसरा सं. 745 रकबा 2.82 हेक्टेयर वाके ग्राम बिडोली तहसील धोद जिला सीकर के बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा हेतु तहसीलदार, धोद जिला सीकर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार, धोद के पत्रांक/भू.अ./2020/149 दिनांक 08.01.2020 के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्ष के अभिभाषकगण ने उक्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा का गहनता से अवलोकन कर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वाद डिक्री किये जाने पर सहमति प्रकट की। बहस उभयपक्ष की सुनी गई। बहस में उभयपक्ष के अधिवक्तागण ने तहसीलदार, धोद के प्रस्तावानुसार बंटवारे की अंतिम डिक्री करने का निवेदन किया।

02. बहस पर मनन किया गया, समग्र पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव मुताबिक प्राथमिक डिक्री है। अतः प्रकरण में विवादित भूमि के बंटवारे की अंतिम डिक्री तहसीलदार के प्रस्तावानुसार किया जाना उचित है। अतः विवादित भूमि खसरा सं. 572, 577, 747, 748, 749, 750 किता 6 कुल रकबा 8.11 हेक्टेयर व खसरा सं. 745 रकबा 2.82 हेक्टेयर वाके ग्राम बिडोली तहसील धोद जिला सीकर का निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक-पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं-

114
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	विशेष विवरण
1. रणजीत सिंह पुत्र पीथाराम जाति जाट सा. देह	745 मिन	2.69 हेक्टेयर	पूर्वी भाग
2. जगदीश सिंह पुत्र पीथाराम जाति जाट सा. देह राहिन पीएनबी शाखा कोतवाली रोड़, सीकर (खसरा सं. 745 को छोड़कर)	745 मिन	0.13 हेक्टेयर	दक्षिणी-पश्चिमी कोना
	747 मिन	1.11 हेक्टेयर	उत्तरी-मध्य भाग
	747 मिन	1.45 हेक्टेयर	दक्षिणी-पूर्वी भाग
	किता 3	2.69 हेक्टेयर	
3. हरफूल सिंह पुत्र पीथाराम जाति जाट सा. देह	747 मिन	0.24 हेक्टेयर	दक्षिणी-पश्चिमी कोना
	748 मिन	1.82 हेक्टेयर	दक्षिण भाग
	749 मिन	0.63 हेक्टेयर	दक्षिण भाग
	किता 3	2.69 हेक्टेयर	
4. विद्याधर पुत्र पीथाराम जाति जाट सा. देह राहिन सेन्द्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अशोक विहार, सीकर	572	0.14 हेक्टेयर	सम्पूर्ण
	577	0.67 हेक्टेयर	सम्पूर्ण
	749 मिन	0.53 हेक्टेयर	उत्तरी भाग
	750	0.86 हेक्टेयर	सम्पूर्ण
	748 मिन	0.41 हेक्टेयर	उत्तरी भाग
	747 मिन	0.08 हेक्टेयर	उत्तरी-पश्चिमी कोना
किता 6	2.69 हेक्टेयर		
5. रणजीत सिंह, जगदीश सिंह, हरफूल सिंह, विद्याधर पि. पीथाराम जाति जाट सा. देह	747 मिन	0.17 हेक्टेयर	रास्ता

तहसीलदार, धोद से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग-अलग खसरान का अलग-अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम कर अलग-अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावे। रहन यथावत रहेगा। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमद दरामद हेतु तहसीलदार, धोद को तहरीर जारी हों। पत्रावली फौसल शुमार हौकर बा तकमील दाखिल दफतर अभिलेखागार हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।



(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
धोद उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर
पीठासीन अधिकारी- राजपाल यादव, आर.ए.एस.

रणजीत सिंह आदि

जगदीश सिंह

बनाम

दावा बाबत बंटवारा

निर्णय दिनांक- 11.02.2020

दावा मुकदमा नं. 39/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई रूबरू राजपाल यादव, आर.ए.एस व हाजिरी श्री राजेन्द्र कुमार मातवा, एड. रूबरू श्री राजेन्द्र सुण्डा, एड. व श्री भागीरथ चौधरी, एड. मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जा है कि वादी के वाद में तहसीलदार, धोद से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर खसरा सं. 572, 577, 747, 748, 749, 750 किता 6 कुल रकबा 8.11 हेक्टेयर व खसरा सं. 745 रकबा 2.82 हेक्टेयर वाके ग्राम बिडोली तहसील धोद जिला सीकर में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है-

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	विशेष विवरण
1. रणजीत सिंह पुत्र पीथाराम जाति जाट सा. देह	745 मिन	2.69 हेक्टेयर	पूर्वी भाग
2. जगदीश सिंह पुत्र पीथाराम जाति जाट सा. देह राहिन पीएनबी शाखा कोतवाली रोड, सीकर (खसरा सं. 745 को छोड़कर)	745 मिन	0.13 हेक्टेयर	दक्षिणी-पश्चिमी कोना
	747 मिन	1.11 हेक्टेयर	उत्तरी-मध्य भाग
	747 मिन	1.45 हेक्टेयर	दक्षिणी-पूर्वी भाग
3. हरफूल सिंह पुत्र पीथाराम जाति जाट सा. देह	किता 3	2.69 हेक्टेयर	
4. विद्याधर पुत्र पीथाराम जाति जाट सा. देह राहिन सेन्द्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अशोक विहार, सीकर	747 मिन	0.24 हेक्टेयर	दक्षिणी-पश्चिमी कोना
	748 मिन	1.82 हेक्टेयर	दक्षिण भाग
	749 मिन	0.63 हेक्टेयर	दक्षिण भाग
	किता 3	2.69 हेक्टेयर	
5. रणजीत सिंह, जगदीश सिंह, हरफूल सिंह, विद्याधर पि. पीथाराम जाति जाट सा. देह	572	0.14 हेक्टेयर	सम्पूर्ण
	577	0.67 हेक्टेयर	सम्पूर्ण
	749 मिन	0.53 हेक्टेयर	उत्तरी भाग
	750	0.86 हेक्टेयर	सम्पूर्ण
	748 मिन	0.41 हेक्टेयर	उत्तरी भाग
	747 मिन	0.08 हेक्टेयर	उत्तरी-पश्चिमी कोना
किता 6	2.69 हेक्टेयर		
5. रणजीत सिंह, जगदीश सिंह, हरफूल सिंह, विद्याधर पि. पीथाराम जाति जाट सा. देह	747 मिन	0.17 हेक्टेयर	रास्ता

तहसीलदार, धोद से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग-अलग खसरान को अलग-अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम कर अलग-अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावें। रहन सथावत रहेगा। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, धोद को तहरीर जारी हों। बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.02.2020 को जारी की गई।



(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

विवरण	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

